

तारीख
हुवन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज
अंक १/१ लकावर 236/10

नम्बर व तारीख
अ. काम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

30/10/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त.
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

आदेश से रोक

21/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी
आधिकारता अज्ञात/निलती वादीगण एवं
वादी आधिकारता को निपगतानार तीन
बार आवाजे लगावाई गई, परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। समय 5-50 PM.
ती बुका है। वादीगण एवं वादी आधिकारता
को न्यायालय में पुनः एक बार आवाज
लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। वादीगण एवं वादी आधिकारता के
न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से
वादीगण द्वारा उपरान्त बाद अन्तर्गत धारा
88, 89, 188 राजस्थान कायदाकारी आदेशों
की अदम लागू की। अदम पौबी में जारी
क्रिया जाता है। उकी पचा जाबी है।
निर्णय सेरे इजलास सुनाया
गया। पत्रावली फावल शुमार होका दाखिल
कर ले तथा नम्बर से कम ले।

सहायक न्यायाधीश
मौलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू पुत्र नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सुन्दरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामा पुत्र नन्दा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी सुन्दरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 रा0 टि0 अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरस्थी व
स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 236/2010 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सेन उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 21.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा